विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-10/16

मेसर्स तापड़िया लिमिटेड — आवेदक
पंधाना रोड,
खण्डवा म.प्र.

विरूद्ध

मुख्य अभियंता (इ.क्षे.) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., इंदौर म.प्र.

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., खण्डवा म.प्र.

आदेश

(दिनांक 08.07.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0330216 मेसर्स तापड़िया लिमिटेड, खण्डवा विरूद्ध कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर एवं अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–10/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 21.06.2016 को उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक के प्रतिनिधि श्री आर. एस. गोयल एवं श्री आर.सी. सोमानी उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री योगेश आठनेरे, कार्यपालन यंत्री, खण्डवा उपस्थित हुए।

04 आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया कि–

(i) आवेदक का एक उच्चदाब कनेक्शन जिसकी कि संविदा मांग 160 केवीए है, खण्डवा में स्थापित है जिससे वे जिनिंग व प्रेसिंग का कार्य करते हैं तथा विद्युत कनेक्शन का सीजनल उपयोग है जिसकी अवधि प्रति वर्ष अक्टूबर से मार्च तक रहती है।

(ii) आवेदक द्वारा घोषित सीजनल अवधि (ऑफ सीजन) के अनुसार उन्हें सीजनल टैरिफ में बिलिंग की जाती है जिसमें कि इस बात का उल्लेख है कि ऑफ सीजन में यदि संविदा मांग का 30 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया जाता है तो उन्हें सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर प्रचलित टैरिफ की दर से पूरे वर्ष की बिलिंग की जाती है।

(ii) आवेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.9.2014 को रीडिंग लेते समय अधिकतम मांग 85 केवीए दर्ज हुई है जो कि कुल संविदा मांग का 30 प्रतिशत से अधिक है अतः क्षेत्रीय

लेखाधिकारी, खण्डवा द्वारा उन्हें सीजनल टैरिफ की पात्रता समाप्त होने की सूचना देते हुए अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक की बिलिंग को औद्योगिक श्रेणी के टैरिफ एचवी–3.1 के अनुसार संशोधित बिल कर अंतर की राशि का बिल रूपये 3,92,007/– को अगले बिल में जोड़ने हेतु सूचित किया। (ओई–1)

(iv) आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि अप्रैल 2014 से सितंबर 2014 तक की अवधि में उनका ऑफ सीजन रहता है अतः इस अवधि में केवल मशीनों के मेंटेनेंस का कार्य होता है। अतः किसी भी हालत में 85 केवीए एमडी दर्ज नहीं हो सकती। अतः मीटर की कार्यप्रणाली का परीक्षण कराया जाए। (ओई–2)

(v) आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके अनुरोध पर मीटर का परीक्षण दिनांक 26.11.2014 को कराया गया, जिसमें परीक्षण उपरांत मीटर की कार्यप्रणाली ठीक पाई गई एवं दिनांक 20.9. 2014 की एमआरआई से 20 किलोवाट व 84.8 केवीए एमडी दोपहर 12.20 पर दर्ज होना पाया गया। (ओई–3)

(vi) आवेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.11.2014 को ही परीक्षण दल द्वारा परिसर का निरीक्षण भी किया गया तथा मीटर की एमआरआई भी ली गई। निरीक्षण के समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परीक्षण रिपोर्ट एवं कार्यवाही रिपोर्ट बनाई गई जिसमें इस बात का उल्लेख है कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन हेतु लगाई गई एमई एवं ट्रांसफार्मर के बीच दो पोल की 11 केवीए लाइन है तथा आवेदक के स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 20.9.2014 को बिजली कड़की थी तथा एमई एवं ट्रांसफार्मर के बीच झाड़ पर बिजली गिरी थी। इसके अलावा उनके किसी भी उपकरण में कोई खराबी अथवा फाल्ट नहीं आया था, क्योंकि अप्रैल माह में उनके यहॉ ऑफ सीजन होने के कारण उपकरण बंद करके मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है एवं परिसर में केवल इस अवधि में प्रकाश हेतु विद्युत का उपयोग किया जाता है।(ओई–4)

(vii) आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि मीटर परीक्षण रिपोर्ट एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर अधीक्षण यंत्री, खण्डवा द्वारा आवेदक के यहॉ सीजनल टैरिफ के हिसाब से बिल जारी करने हेतु एवं नवंबर 2014 में दिये गये बिल को सीजनल टैरिफ से पुनरीक्षित कर दिसंबर 2014 में उस राशि को समायोजित करने के निर्देश क्षेत्रीय लेखाधिकारी को दिये गये। तदनुसार क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा अधीक्षण यंत्री के निर्देशानुसार पुनः आवेदक को सीजनल टैरिफ के हिसाब से बिलिंग प्रारंभ कर दी गई तथा नवंबर 2014 के बिल को पुनरीक्षित कर दिसंबर 2014 के बिल में दिया गया। (ओई–5)

(viii) आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अधीक्षण यंत्री (उच्चदाब सेल) द्वारा लगभग एक वर्ष के पश्चात सितंबर 2014 में स्वीकृत संविदा मांग से 30 प्रतिशत अधिक संविदा दर्ज होने के कारण बिल को पुनरीक्षित कर रूपये 4,76,011/– जमा करने के निर्देश दिये।

05 आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त बिल अधीक्षण यंत्री (उच्चदाब सेल) द्वारा आडिट पार्टी द्वारा रिकवरी निकालने के उपरांत सूचना पत्र जारी किया।

06 आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि इलेक्ट्रानिक मीटर में पंद्रह मिनट की अवधि के ब्लॉक में मीटर में स्वतः एमडी रीसेट हो जाती है परन्तु इसमें किसी भी प्रकार की अस्थायी त्रुटि आ जाने के कारण एक निश्चित अवधि में एमडी रिसेट नहीं कर सका एवं कुछ निश्चित अवधि के बाद रिसेट किया । इस कारण से इस अवधि की संचयी संकलित एमडी मीटर में रिकार्ड हो

गई है। यह त्रुटि निश्चित रूप से दिनांक 20.9.2014 को आने से इंकार नहीं किया जा सकता। यह तथ्य की इस बात से पुष्टी होती है कि दिनांक 20.9.2014 को के.डब्ल्यू. एम.डी. 20 किलोवाट थी परन्तु केवीए एमडी 84.8 केवीए थी जबकि पावर फेक्टर 0.93 था। इसके अनुसार केवीए एमडी 21.51 होती है। माननीय लोकपाल की जानकारी में यह तथ्य लाना आवश्यक है कि माह अक्टूबर 2014 में भी मीटर में अधिकतम मांग केवीए 40 बिल में व एमआरआई की समरी में भी केवीए एमडी 40 केवीए एवं डब्ल्यू एमडी 40 किलोवाट व पाव फेक्टर 0.93 था। इससे भी यह स्पष्ट है कि दिनांक 20.9.2014 को केवीए एमडी मीटर अस्थायी रूप से कोई तकनीकि खराबी आयी जिसके कारण उस दिन केवीए एमडी मीटर में अधिक आयी है।

07 आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि अधीक्षण यंत्री, खण्ड द्वारा संपूर्ण जांच करने के उपरांत ही तकनीकि त्रुटि के आधार पर अधिक एमडी दर्ज होने के पश्चात की बात को स्वीकार करते हुए बिल को निरस्त कर दिया था। परन्तु आडिट पार्टी को वास्तविक पूर्ण जानकारी नहीं दी गई इसलिए आडिट पार्टी द्वारा पुनः रिकवरी अधिरोपित की है। अतः अनुरोध है कि फोरम के निर्णय दिनांक 25.04.2016 को अपास्त करते हुए अधीक्षण यंत्री (उच्चदाब सेल) द्वारा जारी बिल को निरस्त किया जाए तथा उनके द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन उनके अगले विद्युत बिल में किया जाए।

08 तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि –

(i) तत्कालीन परिस्थितियों में अधीक्षण यंत्री, खण्डवा ने सीजनल टैरिफ बहाल रखने का जो निर्णय किया था वह आडिट द्वारा अमान्य कर दिया गया है। चूंकि उपभोक्ता के मीटर में कोई त्रुटि नहीं थी एवं 15 मिनिट से अधिक मीटर में विद्युत लोड रहने के कारण अधिकतम मांग 85 केवीए दर्ज हुई थी, अतः इसे टेरिफ की शर्त का उल्लंघन माना गया है।

(ii) चूंकि मीटरिंग उपकरण के पश्चात की विद्युत स्थापना की समस्त जवाबदारी उपभोक्ता की होती है एवं उसमें किसी भी प्रकार से विद्युत के उपयोग का दायित्व उपभोक्ता का होता है।

(iii) तत्काली अधीक्षण यंत्री (खं.वृ.) के निर्णय को ऑडिट द्वारा अमान्य किया जाना ऑडिट की दृष्टि से सही होकर तकनीकि रूप से भी सही है एवं ऑडिट के दृष्टिकोण की माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर द्वारा भी उचित पाकर उसकी पुष्टि की गई है। अतः ऑडिट द्वारा निकाली गई राशि न्यायोचित है एवं बढ़ी हुई अधिकतम मांग हेतु उपभोक्ता स्वयं उत्तरदायी है। अतः राशि वसूली योग्य है।

09 उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस एवं तर्क सुनने के पश्चात प्रकरण में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अनावेदक को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के अनुपालन में निम्न जानकारी लेकर अगली तिथि में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

अ अधीक्षण यंत्री, खण्डवा की वह नोटशीट जिसके आधार पर आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी को निरस्त किये जाने का उल्लेख है।

ब आडिट पार्टी द्वारा दिया गया हाफ–मार्जिन जिसके आधार पर रिकवरी निकाली गई है, उसे लेखाधिकारी एच.टी. सेल द्वारा स्वीकार करने का क्या आधार है ?

स सितंबर, 2014 के संपूर्ण माह की डेट वाईज व टाईम वाईज एम.आर.आई रिपोर्ट जिसमें लोड, एम्पीयर, वोल्टेज, पॉवर फैक्टर आदि का उल्लेख हो।

10 दिनांक 05.07.2016 को उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक के प्रतिनिधि श्री आर. एस. गोयल एवं श्री आर.सी. सोमानी उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री योगेश आठनेरे, कार्यपालन यंत्री, खण्डवा उपस्थित हुए।

11 अनावेदक द्वारा दिनांक 21.06.2016 को दिये गये निर्देशानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। (ओई–7 सहपत्र सहित)

12 तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि ऑडिट पाटी द्वारा दी गई आपत्ति (हाफ–मार्जिन) को लेखाधिकारी (उच्चदाब प्रकोष्ठ) में निम्न आधार पर स्वीकृत किया गया।

अ तकनीकि आधार पर मीटर टेस्टिंग डिवीजन की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि उपभोक्ता के मीटर में किसी भी प्रकार की कोई तकनीकि त्रुटि नहीं पाई गई है एवं उसमे ंजो अधिकतम मांग 85 केवीए दर्ज हुई है वह सही है।

ब मौसमी टैरिफ की शर्त के अनुसार उपभोक्ता का अपनी संविदा मांग का मात्र 30 प्रतिशत ही उपयोग ही ऑफ सीजन की अवधि में मान्य है। ऑफ सीजन के किसी भी माह में इससे अधिक मांग दर्ज होने पर पूरे वर्ष के लिए उपभोक्ता को औद्योगिक श्रेणी में बिलिंग की जावेगी। यह स्पष्ट निर्देश आयोग द्वारा घोषित टैरिफ में निर्धारित हैं।

13 आवेदक द्वारा प्रस्तुत एमआरआई की विश्लेषण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई (ओई–8) जिसके आधार पर निम्नानुसार निष्कर्ष प्रस्तुत है –

अ एमआरआई रिपोर्ट 9 माह की अवधि की है जिसमें दर्ज डाटा के अनुसार किसी भी माह में किसी भी प्रकार की असामान्य रीडिंग नहीं पाई गई।

ब एमआरआई डाटा के विश्लेष्ज्ञण में यह स्पष्ट है कि माह सितंबर 2014 में जो 85 केवीए अधिकतक मांग दर्ज हुई है, उस माह में मीटर में किसी भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न नहीं हुई थी।

स सितंबर 2014 के पश्चात भी मीटर में दर्ज हुई रीडिंग सामान्य पाई गई।

द सितंबर 2014 के पूर्व एवं पश्चात दर्ज रीडिंग में मीटर के त्रुटिपूर्ण होने का कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ और न ही किसी भी प्रकार की कोई तथ्यात्मक त्रुटि पाई गई। अतः उक्त मीटर में दर्ज रीडिंग पूरी तरह सही है एवं बिलिंग योग्य है।

14 आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 12.10.2014 मीटर की टेस्ट रिपोर्ट में के.डब्ल्यू. एमडी 20 किलोवाट एवं एमआरआई समरी में भी केडब्ल्यू एमडी 20 किलोवाट दिनांक 20.09.2014 एवं माह का पावर फेक्टर 0.93 रिकार्ड हुआ है। इससे स्पष्ट है कि लोड 20 किलोवाट से अधिक नहीं था। केवीए एमडी की गणना इसके आधार पर की जाना चाहिए जो कि 20 / 0.93 से केवीए एमडी 21.5 केवीए होती है। इस प्रकार हमारे द्वारा ऑफ सीजन अवधि में कोई भी उल्लंघन (violation) नहीं हुआ है। एमडी 21.5 केवीए से लेकर माह सितंबर 2014 का बिल पुनरीक्षित किया जावे। (ओई–9)

15 उपरोक्त तर्क एवं लिखित वहस के आधार पर निम्न तथ्य सामने आते हैं –

अ आवेदक एक सीजनल उपभोक्ता है जिसका कि सीजन प्रतिवर्ष अक्टूबर से मार्च तक रहता है। इसकी घोषणा कर सूचना आवेदक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को दी जाती है जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीजनल टैरिफ की बिलिंग एचवी–4 टैरिफ आदेश वर्ष 2014–15 के अंतर्गत बिलिंग की जाती है। उपभोक्ता को ऑफ सीजन में स्वीकृत संविदा भार का 30 प्रतिशत या उससे कम संविदा भार सीमित रखना पड़ता है और यदि ऑफ सीजन में किसी भी माह में यह सीमा बढ़ जाने पर उपभोक्ता को उच्चदाब टैरिफ एचवी– 3.1 के अनुसार पूरे वर्ष की बिलिंग किये जाने का प्रावधान है।

ब आवेदक के यहॉ दिनांक 24.9.2014 को रीडिंग लेते समय अधिकतम मांग 84.8 केवीए दर्ज हुई जो कि आवेदक की स्वीकृत संविदा भार 160 केवीए के 30 प्रतिशत अर्थात 48 केवीए से अधिक पाई गई। तदनुसार क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा उन्हें अप्रेल से अक्टूबर 2014 तक की बिलिंग को टैरिफ तालिका एचवी 3.1 के हिसाब से संशोधित बिल रूपये 3,92,007/– का जारी किया गया।

स आवेदक द्वारा (ओई–2) आपत्ति लेने पर उनके परिसर का स्थल निरीक्षण एवं मीटर का परीक्षण कराया गया। (ओई–3) जिसमें कि परीक्षण दल द्वारा मीटर की कार्यप्रणाली सही पाई गई एवं मीटर की एमआरआई करने पर दिनांक 20.9.20145 को दोपहर 12.20 पर अधिकतम संविदा भार 84.8 केवीए दर्ज होना पाया गया एवं परीक्षण दल द्वारा आवेदक के स्टाफ का कथन भी नोट किया गया। (ओई–4) स्टाफ द्वारा उन्हें बताया गया कि दिनांक 20.9.2014 को एमई एवं ट्रांसफार्मर के बीच स्थित पेड़ पर बिजली गिरी थी इसके अलावार उनके परिसर में स्थापित अन्य उपकरणों में कोई त्रुटि एवं फाल्ट नहीं आया। अधीक्षण यंत्री, खण्डवा द्वारा अपनी कार्यालयीन नोटशीट (ओई–10) में भी उपरोक्त कथन की पुष्टि की है।

द अधीक्षण यंत्री द्वारा वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 की आवेदक की ऑफ सीजन में दर्ज खपत एवं अधिकतम मांग संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि उपरोक्ता द्वारा अक्टूबर से मार्च के बीच में विद्युत का उपयोग किया जाता है दिनांक 20.9.2014 को दोपहर 12.20 पर दर्ज हुई अल्प अवधि की अधिकतम मांग का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन किया जाना नहीं पाया गया।

16 अधीक्षण यंत्री द्वारा दिये गये तथ्यों के आधार पर ऑफ सीजन अवधि में दी गई तिथि एवं समय विशेष में अल्प अवधि में दर्ज हुई अधिकतम मांग 84.8 केवीए के आधार पर संबंधित उपभोक्ता को संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक रूप से दण्डित करना उचित नहीं पाया गया। अतः क्षेत्रीय लेखाधिकारी, खण्डवा को माह सितंबर 2014 में पैनाल्टी स्वरूप जमा की गई राशि को ग्राह्य करते हुए शेष माहों की बिलिंग पूर्ववत टैरिफ एचवी–4 के अनुसार बिलिंग करने हेतु निर्देशित किया। तदनुसार क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा बिल को पुनरीक्षित करते हुए दिसंबर 2014 में उन्हें क्रेडिट दे दी गई एवं अगले माह में सीजनल टैरिफ के अनुसार ही बिलिंग की गई।

17 वर्ष 2014–15 में उच्चदाब प्रकोष्ठ में अंकेक्षण दल द्वारा सितंबर 2014 में स्वीकृत संविदा भार से 30 प्रतिशत अधिक एमडी दर्ज होने पर आवेदक के विरूद्ध अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए टैरिफ एचवी 3.1 के अनुसार बिलिंग कर रूपये 4,76,011/– की रिकवरी निकाली गई जिसे कि उच्चदाब बिलिंग प्रकोष्ठ के संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए

वसूली करने की सहमति दी एवं आवेदक को दिनांक 16.12.2014 को रूपये 4,76,011/– का बिल जारी किया गया।

18 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.9.2014 की एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इस तिथि में दोपहर 12.20 पर 84.8 केवीए एवं 20 किलोवाट एमडी दर्ज हुई है तथा सितंबर 2014 माह में पावर फैक्टर 0.93 रिकार्ड किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि –

अ उच्चदाब प्रकोष्ठ द्वारा उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर के परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.11.2014 के आधार पर मीटर को सही मानते हुए मीटर में दर्ज दिनांक 20.9.2014 की एमडी को सही माना गया जो कि स्वीकृत संविदा भार 160 केवीए से 30 प्रतिशत से अधिक होने पर पूरे वर्ष हेतु बिल वर्ष 2014–15 से उच्चदाब टैरिफ तालिका 3.1 के हिसाब से संशोधित किया गया।

ब ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चदाब प्रकोष्ठ के अधिकारी द्वारा अंकेक्षण दल द्वारा ली गई आपत्ति को केवल टेरिफ में दिये गये प्रावधान के अनुसार स्वीकार कर लिया गया एवं उनके द्वारा अधीक्षण यंत्री खण्डवा जो कि उनके क्षेत्र के उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए उत्तरदायी हैं, के द्वारा तकनीकि एवं व्यावहारिक कारण से लिये गये निर्णय को नजर अंदाज किया गया। अधीक्षण यंत्री खण्डवा द्वारा अपनी कार्यालयीन नोटशीट में स्पष्ट किया था कि आवेदक द्वारा विगत 3 वर्षों में कभी भी ऑफ सीजन में सीमा से अधिक एमडी का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया। प्रस्तुत एमआरआई (ओई–8) के अवलोकन करने पर भी यह स्पष्ट है दिनांक 12.9.2014 को केवल आधे घंटे के दौरान ही एमडी 84.8 दर्ज हुई। अतः इस अल्प अवधि में आवेदक द्वारा कोई व्यावसायिक उपयोग किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता।

स यदि उच्च्दाब प्रकोष्ठ द्वारा मीटर की एमआरआई का तकनीकि परीक्षण किया जाता तो उनके सामनेयह तथ्य आता कि 20 किलोवाट एमडी पावर फैक्टर 0.93 के विरूद्ध 84.8 केवीए एमडी दर्ज होना संभव नहीं है।

19 वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश में दी गई सामान्य शर्तों की कंडिका 1.13 (iv) में एवरेज मंथली पावर फैक्टर को निम्नानुसार परिभाषित किया है

(iv) For this purpose, the "average monthly power factor" is defined as the ratio expressed in percentage of total kilowatthours to the total kilovoltampere hours recorded during the billing month. This ratio (%) shall be rounded off to the nearest integer figure and the fraction of 0.5 or above will be rounded to next higher integer and the fraction of less than 0.5 shall be ignored.

उपरोक्तानुसार दर्ज एमडी 20 किलोवाट एवं पावर फैक्टर 0.93 के दृष्टिगत 21.5 केवीए एमडी रिकार्ड होनी चाहिए थी जबकि मीटर में एमडी 84.8 दर्ज हुई। इसलिए स्पष्ट है कि तकनीकि कारणों से मीटर द्वारा संचयी संकलित एमडी रिकार्ड की गई जबकि मीटर में 15 मिनट की अवधि के पश्चात एमडी स्वतः रिसेट होने का प्रावधान होता है। अतः स्पष्ट है कि मीटर में आंतरिक त्रुटि आने के कारण मीटर द्वारा प्रत्येक घंटे के चारों ब्लॉक में संचयी एमडी दर्ज कर ली गई। जिसके कारण एमडी 21.5 दर्ज न होकर चार गुना 84.8 दर्ज हुई।

20 यदि उच्चदाब प्रकोष्ठ द्वारा मीटर की एमआरआई का तकनीकि अध्ययन कर अधीक्षण यंत्री, खण्डवा की रिपोर्ट जिसके आधार पर उनके द्वारा पूर्व में की गई बिलिंग को निरस्त किये जाने के निर्देश दिये थे, का अध्ययन खुले दिमाग से किया जाता तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा आडिट पार्टी द्वारा ली गई आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता। परन्तु उच्चदाब प्रकोष्ठ के संबंधित अधिकारी द्वारा केवल टैरिफ के प्रावधान को मान्य करते हुए आडिट पार्टी की आपत्ति स्वीकार की गई जो कि उपरोक्त दर्शाये गये तथ्यों के प्रतिकूल है। अतः आडिट पार्टी द्वारा प्रस्तावित रिकवरी अमान्य एवं निरस्त करने योग्य है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ उच्चदाब प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तावित रिकवरी को निरस्त किया जाए एवं आवेदक द्वारा इस प्रकरण की सुनवाई हेतु जमा की गई 50 प्रतिशत राशि रूपये 2,38,006/– का समायोजन अगले विद्युत देयकों में किया जाए।

ब फोरम का आदेश अपास्त कियाजाता है।

स उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

21 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल